फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 55/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/4/21	[illegible] / अभिभावक [illegible] / P.O. [illegible] प्रशासनिक कार्य [illegible] हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 5/7/21 को पेश हो। (रीडर)
	05/7/21	[illegible] उपस्थित / अभिभावक संघ ने [illegible] कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब [illegible] प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 06/8/21 को पेश हो। (रीडर)
	6/8/21	[illegible] उपस्थित / अभिभावक संघ [illegible] रखा / P.O. साहब [illegible] कार्य [illegible] हैं। [illegible] प्रशा[illegible] 27/8/21 को पेश हो। (रीडर)
	27/8/21	वकील वादी व वकील वादी ने तस्ली हेतु मुकदमा पाया। वकील वादी ने हिदायत दी कि अदिया 18/3/21 की पालना में तस्ली हेतु साथ पर दावा खारिज कराया जावे। पत्रावली दिनांक 22/11/21 को केम्प कोर्ट लाडनूं में पेश हो। (रीडर) [illegible] (जयपुर) राजस्थान
	22/11/21	आज मुकदमा पत्रावली व शाहपुरा वालों के संग अभिभाव केम्प कोर्ट लाडनूं में पेश हुई। पक्षकारान या वकील हाजर के अभाव में। मुकदमा इस अदालत में दि. 23/10/17 को दर्ज होकर तस्ली में विचाराधीन है। दर्ज में कई बार तस्ली हेतु दिया जा चुका है। जिससे जाहिर होता है कि वादी मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहे हैं। अतः बाद पक्ष गुण दोष पर बगैर पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रोकड़ से कम हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा